न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट, मेरठ।
उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3095 सन् 2026

सनव्वर पुत्र सततार, निवासी–ग्राम जई, थाना भावनपुर, जिला मेरठ।
.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार
.....अभियोजन।

मु0अ0सं0–280/2023
धारा–147,148,323,504,506 भा0दं0सं0
व 3(2)5क, 3(1)द एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना भावनपुर, जिला मेरठ।

दिनांकः 16.06.2026

1. अभियुक्त सनव्वर पुत्र सत्तार ने न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। आरोप पत्र के अनुसार अभियुक्त उपरोक्त मु0अ0सं0–280/2023, धारा–147,148,323,504,506 भा0दं0सं0 तथा 3(2)5क, 3(1)द एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना भावनपुर, जिला मेरठ के प्रकरण में वांछित अभियुक्त है। अतः अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जावे। अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा श्री शिवम ने थाना भावनपुर, मेरठ पर दिनांक 15.09.2023 को समय 23:45 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 15.09.2023 को समय शाम 8:30 पी.एम. मेरा भतीजा देव सड़क पार कर रहा था घर के सामने के शुहेल पुत्र फरमान तेजी से बाईक लेकर आया जिससे देव बाल बाल बचा जिसका देव ने विरोध किया वहॉ गांव के लोगों ने दोनों का समझौता करा दिया। थोड़ी देर बाद एक राय होकर गलोंच करते हुए व हाथों में बल्ट व लाठी डंडे लेकर जिसमें शुहेल, आसिफ व शालू पुत्रगण फरमान, राशिद, मनव्वर, शनव्वर पुत्रगण सत्तार व मोमीन व गुलजार पुत्र मुनाजर आसिफ व सारूफ पुत्र रिफाकत, आमिर पुत्र खलील, महबूब पुत्र भूरा और अज्ञात मित्र 10–12 घर के अन्दर घुस आये और देव, शिवम, निखिल, मुकेश, राजेश, जय, वैजनाथ के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट की व जाती सूचक शब्द कहे समार चूहड़ा शोर शराबा सुनकर गांव के लोग आ गये जिन्हें आता देखकर ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। अतः रिपोर्ट लिखकर विधिक कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में झूठा व रंजीशन फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य है और वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार कर रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कोई घटना कारित नहीं की हैं उसे गांव की पार्टीबंदी के कारण झूठा फंसाया गया है। घटना वाले दिन प्रार्थी गांव में नहीं था। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। पत्रावली पर कोई चिकित्सीय आख्या उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी उक्त मामले में धारा 41ए दं0प्र0सं0 के नोटिस पर रिहा है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत पर रिहा होने के बाद उसके फरार होने अथवा गवाहान को धमकाने की कोई सम्भावना नहीं है। अभियुक्त न्यायालय की सन्तुष्टि में उचित जमानत देने के लिये तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने अन्य साथियों के साथ मिलकर बल्वा कारित किया तथा

वादी के घर में घुसकर वादी व अन्य के साथ मारपीट करते हुए व जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किया।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी व अन्य लोगों के साथ मारपीट करते हुए व जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त के संदर्भ में कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त अंतरिम जमानत पर था। उसके द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएं व अन्य सभी धारायें सात वर्ष तक दंडनीय है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा किसी शेष साक्ष्य का संकलन नहीं होना है। सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई० 2021(226) ए०आई०सी० 259 (एस०सी०) में प्रतिपादित सिद्धांत तथा मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त सनव्वर पुत्र सत्तार द्वारा मु0अ0सं0–280/2023, धारा–147,148,323,504,506 भा0दं0सं0 तथा 3(2)5क, 3(1)द एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना भावनपुर, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा रूपया 25000/– का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

दिनाकः 16.06.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी०6240

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.16 17:16:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court